(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 22 /2019- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 148 के साथ पठित एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 4/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 जिसे सा.का.नि. 72(अ) दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

पैराग्राफ के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

“स्पष्टीकरण.-

इस अधिसूचना में निहित कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां विकास के अधिकार की आपूर्ति 1.4.2019 को या उसके बाद की गई हो” ।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/136/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 4/2018- एकीकृत कर (दर), दिनांक 25 जनवरी, 2018 को सा.का.नि 72 (अ), दिनांक 25 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था ।